

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) भोपाल म.प्र.

क्रमांक / /एस.जे.एस.आर.वाई/2010-11 भोपाल, दिनांक : .2010

एस.जे.एस.आर.वाई. प्रशिक्षण कार्य हेतु

प्रस्ताव आमत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 75 प्रतिशत रोजगार/स्व रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त के साथ विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है, इसके लिये मान्यता प्राप्त सक्षम विगत 5 वर्ष से कार्यरत संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं । विस्तृत आवेदन प्रपत्र एवं शर्तों की जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण के कलेक्टोरेट भोपाल स्थित कार्यालय कक्ष क्रं 135) से कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त की जा सकती है ।

आवेदन प्रपत्र वेबसाईट www.bhopal.nic.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है । प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 के अपरान्ह 5.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं । प्रस्ताव के साथ रु. 10,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण भोपाल के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा ।

परियोजना अधिकारी,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
कक्ष क्रं. 135, कलेक्टर कार्यालय,
भोपाल.
कार्या. दूरभाष क्रं. 07552540395

स्वर्ण जयंती शहरी स्व रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक अन्य शर्तें

1. स्वर्ण जयंती शहरी स्व रोजगार प्रशिक्षण कार्य चयनित ट्रेड्स में संलग्न सूची अनुसार ही प्रदान किया जाना है इसके अतिरिक्त नहीं। सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ'
2. प्रशिक्षण भोपाल जिले की मान्य गरीबी रेखा की सर्वे सूची में सूचीबद्ध बी.पी. एल. परिवारों के सदस्यों को ही प्रदान किया जाना है।
3. प्रशिक्षण कार्य हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाईड लाईन अनुसार भुगतान किया जावेगा । प्रति हितग्राही प्रतिमाह अधिकतम रूपये 1500/- व्यय किया जाना है। भारत सरकार की गाईड लाइन अनुसार प्रशिक्षण हेतु कक्षा का आकर अधिकतम 40 हितग्राहियों का होगा ।
4. ट्रेड जिसमें प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा उसका पाठ्यक्रम की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी ।
5. चयनित संस्था प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व प्रशिक्षण संस्थान का पता, हितग्राहियों की सूची, प्रशिक्षण प्रारंभ करने का दिनांक, प्रशिक्षण का समय, प्रशिक्षक का नाम एवं योग्यता मो. न. आदि की जानकारी जिला शहरी विकास अभिकरण में प्रस्तुत करेंगे इसके उपरांत ही प्रशिक्षण प्रारंभ किया जावे।
6. प्रशिक्षण कार्य आवंटन होने के बाद संस्था को 7 दिवस के अंदर प्रशिक्षण प्रारंभ करना होगा । निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में संस्था को आवंटित प्रशिक्षण कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।

7. प्रशिक्षण कार्य हेतु स्वीकृत राशि 03 (तीन) किशतों में 40-40 एवं 20 प्रतिशत में प्रदान किया जायेगा। पृथम किशत चयनित संस्थाओं को स्वीकृत आदेश के साथ प्रदाय की जावेगी। द्वितीय किशत प्रथम किशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र, देयक प्रस्तुत करने एवं निकाय के प्रभारी अधिकारी योजना प्रकोष्ठ नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/सी.डी.एस. द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी।
8. प्रशिक्षण कार्य हेतु संलग्न संस्था द्वारा 75 प्रतिशत हितग्राहियों का रोजगार/स्व रोजगार नहीं करने या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में संस्था को देय अंतिम किशत की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं आगामी वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
9. प्रशिक्षण स्थल संस्था का स्वयं/किराया का होगा स्वामित्व के प्रमाण के रूप में संबधित निकाय का भवन प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो वर्तमान वित्तीय सत्र में प्राप्त किया गया हो लगाना होगा। योजना का नाम (एस.जे.एस.आर.वाई.) प्रशिक्षण ट्रेड्स, प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रशिक्षण संस्था का पूरा नाम का स्पष्ट बोर्ड/ बैनर लगाकर रखना होगा जिससे संचालित प्रशिक्षण कार्य की जानकारी आस-पास सभी लोगों को हो सके।
10. प्रशिक्षणार्थियों का दैनिक उपस्थिति रजिस्टर प्रशिक्षण स्थल पर रखना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण कार्य के फोटोग्राफ्स एवं उपस्थिति रजिस्टर की फोटो कापी प्रत्येक अनुदान मांग पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसका निरीक्षण के दौरान जाँच की जावेगी।
11. प्रशिक्षण कार्य हेतु व्यय की गई सामग्रियों का एवं कच्चे माल से निर्मित सामग्रियों का स्पष्ट लेखा-जोखा स्टाक पंजी में संधारित किया जावेगा तथा प्रशिक्षण के अंत में बनी सामग्री एवं अभिलेखों की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

12. कुल प्रशिक्षित हितग्राहियों में से 75 प्रतिशत हितग्राहियों को रोजगार/स्व रोजगार उपलब्ध करवाने के सक्षम प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत अंतिम किश्त का भुगतान किया जावेगा ।
13. प्रशिक्षण हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त की मांग के समय व्यय राशियों के टीन/पेन न. अंकित देयक की छायाप्रति (अध्यक्ष एवं सचिव) द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। जिला शहरी विकास अभिकरण से द्वितीय किश्त की मांग के समय हितग्राहियों की सूची एवं व्यय राशि का देयक की छायाप्रति भेजेंगे।
14. प्रशिक्षण कार्य के दौरान समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा, जिसमें उपस्थिति पंजी, स्टॉक पंजी एवं प्रशिक्षणाथियों की संतुष्टि व प्रशिक्षण की गुणवत्ता का मुआयना किया जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर स्वीकृत प्रशिक्षण कार्य निरस्त किया जा सकेगा तथा ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात हो जावेगी एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है ।
15. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को रोजगार/ऋण उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी । आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बैंक ऋण प्रकरण तैयार करने की जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी यह कार्य संस्था संबंधित वार्ड के सी.ओ. से समन्वय स्थापित कर पूर्ण करेंगे।
16. प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रस्ताव के साथ 10000/—(रु दस हजार) रुपये की डी. डी. संस्थाओं को अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी जो अंतिम किश्त के भुगतान के बाद प्रदाय की जावेगी । डिमान्ड ड्राफ्ट परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण भोपाल के नाम से संलग्न करना होगा। यह राशि प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक संपादित करने पर अंतिम किश्त के भुगतान के बाद दी जावेगी । उक्त राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

17. म.प्र. फर्म एवं सोसायटी में पंजीकृत संस्था जिनका स्वयं का या किरायेदारी का कार्यालय प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त संसाधन सहित धारा 27 एवं 28 में नवीनतम प्रबंध कार्यकारिणी की प्रमाणित सूची जो वर्तमान वित्तीय सत्र की होगी फर्म सोसायटी द्वारा अनुमोदित हो आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा । प्रमाणित सूची संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः अस्वीकृत माना जावेगा ।
18. संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम के न्यूनतम 1 घंटा अधिकतम 2 घंटे की सी. डी. तैयार कर अंतिम किश्त के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।
19. संस्थाएं सी.डी.एस./डूडा द्वारा चयनित बी.पी.एल. हितग्राहियों की सूची संबंधित सामुदायिक विकास समिति से प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न करायेगी। संस्था स्वयं भी बी.पी.एल. हितग्राहियों का चयन कर सकती है परन्तु इसका अनुमोदन डूडा/सी.डी.एस. से कराना होगा एवं हितग्राहियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि पूर्व में एस.जे.एस.आर.वाय. प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है ।
20. किसी भी संस्था को प्रशिक्षण कार्य स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला शहरी विकास अभिकरण के पास सुरक्षित है। किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में कलेक्टर/ अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण भोपाल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होकर बंधनकारी होगा।
21. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संस्थाओं के आवेदन जिला शहरी विकास अभिकरण भोपाल में जमा किये जावेगे। निर्धारित अवधि उपरांत एवं अपूर्ण आवेदन अस्वीकार कर दिये जावेगें ।
22. उपरोक्त शर्तों के अनुरूप ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेगें । उपरोक्त किसी भी शर्त का पालन न करने पर आवेदन स्वीकार नहीं होगा । प्रशिक्षण कार्य हेतु समय-समय पर लिये गये निर्णय आवेदक संस्था को मान्य होंगें ।

23. संस्था को विगत 5 वर्ष की आडिट रिपोर्ट (आय व्यय का लेखा) संलग्न करना होगा ।
24. आवेदित संस्था का विगत तीन वर्षों का कुल टर्न ओवर 10 लाख रुपये होना आवश्यक है ।

स्वर्ण जयंती शहरी – स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव

आवेदन-पत्र

आवेदन पत्र का शुल्क 250/-

आवेदन पत्र क्र. रु.10000/- बैंक ड्राफ्ट क्र..... दिनांक.....

1. संस्था का नाम :
2. संस्था का पंजीयन क्रमांक : दिनांक.....
3. संस्था का पंजीकृत पता :
4. संस्था का कार्यालयीन पता :
- (अध्यक्ष/सचिव का मो.न./दूरभाष न.) :
5. संस्था का कार्यक्षेत्र :
6. प्रशिक्षण स्थल का पता :
7. संस्था का उद्देश्य : संस्था के पंजीकृत नियमावली में रेखांकित कर उल्लेख करें कि संस्था के उद्देश्य में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्य शामिल है।
8. संस्था नियमितता हेतु म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत धारा 27 व 28 तथा प्रबंधकारिणी की सत्यापित प्रति वर्तमान वर्ष की संलग्न करें।
9. संस्था का विगत 5 वर्षों का आय-व्यय का विवरण :

वर्ष	पिछड़ा शेष	वर्ष में आय	वर्ष में व्यय	वर्ष का शेष
1	2	3	4	5
2005-2006				
2006-2007				
2007-2008				
2008-2009				
2009-2010				

उपरोक्त आय व्यय की पुष्टि हेतु संस्था की आडिट रिपोर्ट संलग्न करें।

10. संस्था को अन्य विभाग/संस्थाओं से प्राप्त कार्यादेश/ कार्यानुभव का विवरण परिशिष्ट एक में संलग्न करें।
11. संस्था द्वारा वांछित प्रशिक्षण ट्रेड का नाम, जिसमें प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधन एवं प्रशिक्षक संस्था के पास विद्यमान है।
प्रस्तावित प्रशिक्षण की आवश्यकता व रोजगार / मार्केटिंग क्षेत्र का एवं विगत 5 वर्ष में दिये गये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित हितग्राहियों का भी ब्यौरा देवे साथ ही रोजगार से जोडे गये हितग्राहियों की सूची संलग्न करें ।

.....
.....
.....
.....

12. प्रशिक्षण कार्य हेतु संस्था के पास विद्यमान संसाधन का विवरण :-

1. उपलब्ध स्थान/ स्वयं/किराये का :..... वर्गफिट
पंजीकृत किरायानाम
होने पर निकाय का भवन प्रमाण पत्र वर्ष 10-11 (खाका मानचित्र संलग्न करें)
संलग्न करें।
2. फर्नीचर :.....
3. औजार व मशीनरी उपकरण :.....
4. बिजली, पानी :.....
5. प्रशिक्षक का नाम : पूरा नाम फोटो एवं पता तथा योग्यता
योग्यता, प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
अनुभव के साथ फोटो

13. संस्था द्वारा 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) का संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण :-

बैंक का नाम	शाखा का नाम	बैंक ड्राफ्ट नं.	दिनांक

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि हमारी संस्था स्वर्ण जयंती शहरी स्व रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य प्रदान करने हेतु सहमत हैं तथा सभी शर्तें स्वीकार्य हैं एवं इस आशय का प्रस्ताव संस्था द्वारा सर्वसम्मत से पारित की गई है जिसकी प्रति संलग्न है।

उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की कोई असत्य जानकारी नहीं दी गई, यदि ऐसा होना पाया जाता है तो उसके लिये मैं स्वयं एवं संस्था जिम्मेदार रहेगा/ रहेगी।

दिनांक :

संलग्न – संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की सूची पृथक से संलग्न करें।

सचिव
संस्था की सील पते सहित

अध्यक्ष
संस्था की सील पते सहित

परिशिष्ट- "अ"

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना- प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2010-11

भोपाल जिले मे प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवार सूची

क्र.	ट्रेड का नाम
1	सिलाई, कढाई
2	पलम्बर
3	कारपेन्टर
4.	पी.ओ.पी. कार्य
5.	जूट निर्माण
6.	जरी कार्य
7.	सेनेटरी नेपकीन निर्माण
8.	मसरूम उत्पादन
9	बेकरी प्रशिक्षण
10.	स्टील फ़ैब्रिकेशन
11	आर्टिफिशियल ज्वेलरी
12	मोटर वांडिंग
13	वेम्बो आयटम
14	घरेलू वायरिंग फिटिंग
15	अगरबत्ती निर्माण
16	फ़ूड प्रोसेसिंग

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
भोपाल

